107

संचिका संख्या–21 / वि0स0–09.02 / 2018

श्री लक्ष्मेश्वर राय, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–त्र–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

त्र–10– क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बताने की कृपा करेगें कि : –

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड मुख्यालय स्थित पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल, लौकही परिसर में स्थित सरकारी आवासों में अनिधिकृत रूप से अवैध लोग आवासित है।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि अवर प्रमंडल पदाधिकारी पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल लौकही के पत्रांक–37 दिनांक–11.07.2017 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास को सरकारी आवास को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है, परंतु अभी तक मुक्त नहीं कराया गया है।	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सरकारी आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है ?	अतिक्रमित सरकारी आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु विभागीय पत्रांक–129 दिनांक–21.02.2018 द्वारा समाहर्त्ता, मधुबनी को निर्देशित किया गया है।

116

संचिका संख्या–21 / वि0स0–09.01 / 2018

श्री नारायण प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–त्र–02 का उत्तर प्रतिवेदनः–

त्र–02 क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि : –

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत चम्पारण तटबंध के 35.2 से 51 कि0मी0 तक 341 व्यक्तियों द्वारा तटबंध की भूमि अतिक्रमण किया गया है, जिसकी सूची अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सं0–01, बेतिया ने अंचलाधिकारी बैरिया को अपने पत्रांक–88, दिनांक–11.09.2017 द्वारा सौंपी है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि तटबंध अतिक्रमण के कारण तटबंध में छिद्र व कमजोर होने की स्थिति में बरसात के समय टूटने का खतरा बना हुआ है।	बरसात से पूर्व तटबंधों का निरोधात्मक / सुरक्षात्मक कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसलिए संदर्भित तटबंध बरसात के समय टूटने का कोई खतरा नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चम्पारण तटबंध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अतिक्रमणवाद दायर किया गया है। अचंलाधिकारी बैरिया से अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया गया है। विभाग के स्तर से भी पत्रांक–130 दि0–22.02.18 के द्वारा समाहर्ता पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–त्र–39 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत जल निस्सरण प्रमण्डल, कोपरिया के अधीन हरैली धार ड्रेनेज अजगरा बहिया, गोपालपुर गाँव (अंचल उदाकिशुनगंज) के पास ड्रेनेज का पूर्वी किनारा वर्ष 2008 में टूटने के कारण लगभग 500 एकड़ खेत में पानी का फैलाव हो जाता है तथा फणहन गाँव के निकट भी ड्रेनेज टूटा हुआ है, जिसके कारण हर वर्ष जल जमाव से फसल बर्बाद हो जाती है, यदि हाँ तो सरकार कब तक ड्रेनेज के टूटे किनारे की मरम्मति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में प्रश्नगत स्थल पर जल जमाव की स्थिति नहीं है तथा रब्बी फसल लगा हुआ है। कोसी नदी के जल स्तर में अधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप कोसी नदी के पानी का निकटवर्त्ती क्षेत्रों में फलाव होता है जिसका कुछ भाग हरैली धार में जाता है, जिस कारण हरेली धार के जल स्तर में वृद्धि होती है तथा हरैली धार के किनारे जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित डावेल के टूटे हुए भाग से पानी का फैलाव निकटवर्त्ती क्षेत्रों में होता है। कोसी नदी का जल स्तर नीचे आने पर प्रश्नगत स्थल पर फैला हुआ पानी पुनः हरैली धार में वापस आ जाता है। प्रश्नगत स्थल पर डॉवेल के टूटे हुए भाग को बाँध दिये जाने पर निकटवर्त्ती अजगरा बहिया, गोपालपुर एवं फणहन चौर में वर्षा एवं अन्य स्त्रोतों से जमा पानी का हरैली धार में वापस आना सम्भव नहीं हो सकेगा, जिस कारण निकटवर्त्ती क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या अधिक दिनों तक बनी रहने की सम्भावना रहेगी, फलस्वरूप रब्बी फसल भी प्रभावित होगा।

पूरक सामग्री

हरैली धार एक ड्रेनेज चैनल है, जिसकी कुल लम्बाई 39.87 कि0मी0 है। हरैली धार का उद्गम स्थल बभनगामा चौर है जो मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखण्ड में है तथा यह फुलौत के पास कोसी नदी में मिलती है। स्थानीय ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि लगभग 15 वर्ष पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा हरैली धार (ड्रेनेज चैनल) के दोनों किनारों पर कुछ स्थानों पर डॉवेल का निर्माण तथा कुछ स्थानों पर कच्ची सड़क का निर्माण कराया गया है।

वर्त्तमान में उक्त डॉवेल कुछ जगहों पर यथा अजगरा बिहिया के निकट 400 फीट की लम्बाई में, गोपालपुर ग्राम के निकट 800 फीट की लम्बाई में एवं फणहन ग्राम के निकट 100 फीट की लम्बाई में टूटा हुआ है। ग्रामिणों द्वारा यह भी बताया गया कि कोसी नदी के जलस्तर में अधिक वृद्धि होने पर इसका फैलाव निकटवर्त्ती क्षेत्रों में होता है, जिसका कुछ भाग हरैली धार में जाता है। हरैली धार के जलस्तर में वृद्धि होने पर जिला प्रशासन द्वारा इसके किनारे पर निर्मित डॉवेल के टूटे हुए भाग से पानी का फैलाव निकटवर्त्ती क्षेत्रों में होता है। कोसी नदी के जलस्तर में कमी के फलस्वरूप हरैली धार के जलस्तर में कमी की स्थिति में निकटवर्त्ती क्षेत्रों में फैला हुआ पानी हरैली धार में वापस आता है जो अन्ततः कोसी नदी में प्रवाहित होता है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– त्र–31 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– क्या यह बात सही है कि पटना कैनाल पर निर्मित सड़क इन्द्रपूरी बैराज से पटना तक जर्जर है, जिससे आम जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि :– • पटना मुख्य नहर की कुल लंबाई बारूण फॉल (0.00 कि0मी0) से भुसौला ब्रीज (122.10 कि0मी0) तक 122.10 कि0मी0 है। • पटना मुख्य नहर के बलिदाद लॉक (57.60 कि0मी0) से भुसौला ब्रीज (122.10 कि0मी0) के बीच बिटूमिनस सेवापथ का निर्माण कार्य 196.58 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है। योजना की अद्यतन प्रगति 42 प्रतिशत है। इसे मार्च 2019 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। • पटना मुख्य नहर के बारूण फॉल (0.00 कि0मी0) से बलिदाद लॉक (57.60 कि0मी0) के बीच बिटूमिनस सेवापथ के निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 18499.78 लाख रुपये, की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है एवं कार्यान्वयन की कार्रवाई प्रगति पर है। • इस कार्य को जुन, 2020 तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

श्री अब्दुस सुबहान, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-त्र-25 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी प्रखंड के एच.एच.-31 डंगराहा पुल से नवाबगंज तक विगत पाँच वर्षो से महानन्दा नदी से कटाव हो रहा है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त स्थानों में बोल्डर पीचिंग कर कटाव रोधक कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी प्रखंड के एच.एच.-31 डंगराहा पुल से नवाबगंज तक वर्त्तमान में कोई कटाव नही हो रहा है । विभागीय पत्रांक-915 दिनांक-23.02.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार को प्रश्नागत स्थल पर सतत् निगरानी एवं चौकसी बरतने हेतु निदेशित किया गया है । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित

प्रश्न संख्या-त्र-44 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक-20.01.2018 को प्रकाशित शीर्षक "गाद से महानन्दा में पानी की कमी, कभी इसके भरोसे होती थी जूट की खेती" के आलोक में क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि महानंदा नदी में गाद के जमा होने से प्रवाह बाधित हुआ है, जिससे नदी रास्ता बदलकर आबादी वाले इलाके में प्रवेश कर जाती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक महानंदा नदी से गाद हटाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि महानन्दा नदी में बरसात के समय सिल्ट लोड बढ़ता है जिससे वह अपनी धारा रिजाइम विड्थ (width) में बदलती रहती है । यह एक प्राकृतिक घटना (Natural phenomenon) है । महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत इस नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर कुल 1195.871 कि0मी0 नये तटबंध निर्माण का कार्य पाँच चरणों में कराने हेतु स्वीकृत है । प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है एवं द्वितीय चरण की योजना स्वीकृति हेतु जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को समर्पित है । तटबंध निर्माण हो जाने पर नदी बाँध के भीतर ही प्रवाहित होगी ।

श्री विनोद प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–23 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड के बड़की चिलमी पंचायत के नीमा गाँव के पास उत्तरी कोयल नहर के आर०डी० नं०–308 के पास आउटलेट नहीं है, जिससे किसानों को पटवन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त स्थान पर आउटलेट बनवाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	• वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला अन्तर्गत आमस प्रखण्ड के बड़की चिलमी पंचायत के नीमा गाँव के किसानों को उत्तर कोयल नहर के आर० डी० 308.7 (बायां) से निःसृत चेन नवादा उप वितरणी के आर० डी० 1.65 पर अवस्थित आउटलेट से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। • इस क्रम में चेन नवादा उप वितरणी के आर० डी० 1.65 पर आउटलेट का निर्माण कराया जा चुका है, परन्तु जलवाहा का निर्माण नहीं हुआ है। • जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एडभाईजरी कमिटी द्वारा उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों का छठा पुनरीक्षित प्राक्कलन (प्राक्कलित राशि ₹ 1622.27 करोड़) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें बिहार के अवयवों पर ₹ 531.07 करोड़ का व्यय किया जाना है। • उक्त योजना में जलवाहा का निर्माण सम्मिलित है। योजना को जनवरी 2020 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

श्री हेम नारायण साह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 त्र–13 द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत प्रखंड भगवानपुर हाट के पंचायत महम्मदपुर, ग्राम– महम्मदपुर के बनकट नहर पर प्रकाश हार्डवेयर के पास नहर पर पुल नहीं रहने के कारण वहाँ की जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त स्थान के पास नहर पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	सिवान जिला अंतर्गत भगवानपुर हाट प्रखंड के महम्मदपुर पंचायत अंतर्गत महम्मदपुर ग्राम से रामपुर वितरणी गुजरती है, जिसके वि0दू0 104.20 के दाहिना बाँध के पास प्रकाश हार्डवेयर अवस्थित है। रामपुर वितरणी के वि0दू0 104.20 के अपस्ट्रीम में वि0दू0 102.40 एवं डाउनस्ट्रीम में वि0दू0 107.385 पर विभाग द्वारा एक पथीय सेतु निर्मित है, जिससे आवागमन सुचारू ढंग से चल रहा है। उक्त दोनों पुल के बीच की दूरी 1520 मीटर है। उल्लेखनीय है कि रामपुर वितरणी का रूपांकित जलश्राव 295 क्यूसेक है। विभागीय मापदंड के अनुसार वैसी नहरें जिनमें जलश्राव 150.00 से 1000.00 क्यूसेक के बीच है उन पर दो पुलों के बीच की दूरी प्रायः 1.00 मील अर्थात 1610 मीटर होना चाहिए। अतः विभागीय मापदंड के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर पुल अनुमान्य नहीं है। फिर भी जन समस्या को देखते हुए मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान को शीघ्र स्थल निरीक्षण कर योजना प्राक्कलन समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक 462 दिनांक 27.02.2018 के द्वारा निदेश दिया गया है।

श्रीमति अरूणा देवी माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–त्र–34 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
(1)	क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अंतर्गत सकरी नदी से निकलने वाली नहर 1957 में बना है।	स्वीकारात्मक।
(2)	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नहर का तटबंध कच्चा रहने से हर वर्ष टूट जाता है तथा नहर भी हर वर्ष मिट्टी से भर जाता है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि नहर का तटबंध हर वर्ष नहीं टूटता है। सकरी नदी में जलश्राव अधिक होने के कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 में दायां मुख्य नहर में दो जगह टूटान हुआ था, जिसे ससमय मरम्मत करा लिया गया। नहरों में गाद की समस्या भी है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त नहर का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। नवादा जिलान्तर्गत सकरी नदी पर निर्मित सकरी सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य का डी०पी०आर० 15 मार्च 2018 तक तैयार किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 357 दिनांक 22.02.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालन्दा, बिहारशरीफ को निदेशित किया गया है।

डॉ० राजेश कुमार माननीय, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित

प्रश्न सं०-ग्राम्य-46 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के एन.एच. 28 से चम्पारण तटबंध होते हुए संग्रामपुर एस.एच. 74 को जाने वाली सड़क कच्ची है जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि संग्रामपुर प्रखंड में एन.एच. 28 से चम्पारण तटबंध होते हुए संग्रामपुर के पास एस.एच. 74 को जाने वाली सड़क के बीच में चम्पारण तटबंध के टॉप पर ब्रीक सोलिंग किया हुआ है। नदियों पर निर्मित तटबंध के टॉप का उपयोग बाढ़ अवधि में तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के परिवहन हेतु किया जाता है। यह आम रास्ता नहीं है। वर्तमान में सड़क का पक्कीकरण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

डॉ० विनोद प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–त्र–24 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
	क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के निलाजन नहर के बाली एवं शेरघाटी प्रखंड के रामपुर गाँव के पास मुख्य नहर में पुल नहीं है तथा नहर की चौड़ाई एवं गहराई अधिक है, जिससे आस–पास के दर्जनों गाँव के लोगों को असुविधा होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त स्थानों के पास नहर पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	लीलाजन मुख्य नहर का रूपांकित जलश्राव बाली ग्राम के निकट 630 क्यूसेक तथा रामपुर ग्राम के निकट 285 क्यूसेक है। विभागीय मापदंडों के अनुसार 150 से 1000 क्यूसेक प्रवाह वाले नहरों में पुलों के बीच औसत दूरी 1.60 कि०मी० (एक मील) से कम नहीं रखने का प्रावधान है। बाली ग्राम तथा रामपुर ग्राम के लिए प्रश्नगत प्रस्तावित पुल से 1.00 कि०मी० अपस्ट्रीम में पूर्व से ही पुल निर्मित है। अतः प्रस्तावित पुलों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

श्री डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-ग्राम्य-104 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत रिविलगंज प्रखंड के ग्राम लंगड़ी ढेलहरी से रिविलगंज के सोढी नदी बांध पर 2 कि0मी0 सड़क कच्ची है, जिस पर आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त सड़क का पक्कीकरण कब तक कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि छपरा जिलान्तर्गत रिविलगंज प्रखंड में सोन्धी नदी के दाँये तट पर 12.50 कि0मी0 की लम्बाई में तटबंध निर्मित है । ग्राम लंगड़ी, ढेलहरी उक्त तटबंध के 10.50 कि0मी0 से 12.50 कि0मी0 के बीच अवस्थित है । सोन्धी नदी के दाँये तटबंध पर निर्मित तटबंध की स्थिति ठीक है एवं तटबंध अपने पूर्ण सेक्शन में है । यह आम रास्ता नही है एवं इसका उपयोग तटबंध के निरीक्षण कार्य हेतु किया जाता है । वर्त्तमान में सड़क का पक्कीकरण कराने का कोई प्रस्ताव नही है । सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है ।

श्रीमती भागीरथी देवी, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र-20 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण (बेतिया) जिलान्तर्गत गौनाहा प्रखंड के महुई पंचायत में जंगल से सेवराहा नाला में गिरने वाली पानी को रोकने के लिए स्लूईस गेट नहीं है, जिसके फलस्वरूप अधिक पानी आ जाने से पूरे पंचायत एवं आस-पास के पंचायतों में बाढ़ आ जाती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त स्थान पर कब तक स्लूईस गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत गौनाहा प्रखंड के महुई पंचायत में जंगल से निकलने वाली सेवराहा नाला तुरकौलिया ग्राम के पास दो भागों में बट कर पूरब एवं दक्षिण दिशा में क्रमशः बेलवा एवं बलोर नदी में मिल जाती है। सेवरहा नाला जंगल से निकलने वाला एक प्राकृतिक नाला है। अतः इसमें स्लूईस गेट का निर्माण तकनीकी रूप से उचित नहीं है।

(7)

पूरक उत्तर

वस्तुतः पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत गौनाहा प्रखंड अन्तर्गत महुई पंचायत में तुरकौलिया ग्राम के पास सेवराहा नाला दो भागों में बँट जाती है। एक भाग पूरब की ओर बहते हुए 12.00 की दूरी पर बेलवा नदी में तथा दूसरा भाग दक्षिण की ओर बहकर 15.00 कि.मी. की दूरी पर बलोर नदी में गिर जाता है।

निरीक्षण के क्रम में सेवराहा नाला में तिरमुहानी के पास तुरकौलिया ग्राम में दक्षिण की ओर 50.00 मीटर की दूरी पर जिला योजना से लगभग 30 वर्ष पूर्व निर्मित एक कॉन्क्रीट का चेक डैम पाया गया। ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि उस चेक डैम के निर्माण के उपरान्त ही सेवराहा नाला में आये अत्याधिक पानी के कारण यह आउटफ्लैंक कर गया है।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पप्पू", माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम्य–8 के द्वारा पूछे गये प्रश्न का उतर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के ग्राम पंचायत सिकटियॉ में दुर्गा मंदिर के समीप छपिया माईनर में पुराना पुल जर्जर होने के कारण आवागमन बाधित है, यदि हॉ तो सरकार कब तक उक्त जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के ग्राम पंचायत सिकटियॉ में दुर्गा मंदिर के समीप छपिया उप शाखा नहर गुजरती है। दुर्गा मंदिर के समीप नहर के वि0दू0 11.05 पर स्थित पुल पूर्ण रूप से ठीक है एवं इससे आवागमन हो रहा है। नहर के वि0दू0 11.05 के अपस्ट्रीम में वि0दू0 9.45 एवं डाउनस्ट्रीम में वि0दू0 12.13 पर भी पुल अवस्थित है जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।

श्री आबिदुर रहमान, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–3 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखण्ड के पियारी पंचायत अंतर्गत वार्ड नं0 10, ए0बी0सी0 नहर के 145 आर0 डी0 पर पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को आवागमन एवं कृषि कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर पुल बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत स्थल अररिया शाखा नहर के आर0 डी0 145 पर है जो अररिया जिला अंतर्गत अररिया प्रखण्ड के दियारी पंचायत में पड़ता है। इस स्थल के अपस्ट्रीम में आर0 डी0 139.40 पर एक फूटपाथ बना हुआ था जो पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। इस स्थल पर नया एक पथीय सेतु बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। यह स्थल अररिया जिला अंतर्गत अररिया प्रखण्ड के दियारी पंचायत में पड़ता है। इस स्थल से दायें तरफ एक पक्की सड़क एन0एच0 57 में मिलती है एवं बायें तरफ एक कच्ची सड़क गुजरती है जो दियारी गॉव (दियारी पंचायत अंतर्गत) वार्ड संख्या–10 तक जाती है। प्रश्नगत स्थल के डाउनस्ट्रीम में अररिया शाखा नहर के आर0 डी0 148.40 पर एक पथीय सेतु सह सी0आर0 बना हुआ है जो दियारी पंचायत के वार्ड नं0 11 में पड़ता है तथा इससे आवागमन सुचारू रूप से जारी है। इस पथ से होते हुए एक पक्की सड़क गुजरती है जो दियारी पंचायत के वार्ड सं0 11 से होते हुए वार्ड सं0 10 तक जाती है। अररिया शाखा नहर के आर0 डी0 139.40 पर एक पथीय सेतु बन जाने पर प्रश्नगत ग्रामीणों के आवागमन की कठिनाइयों का समाधान हो जायेगा। इस प्रकार प्रश्नगत स्थल पर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है।

cross regulator.

177 19

संचिका संख्या–10/वि०स०प्र०(क०)–05–26/2018 491 22.2.2018

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक अरूण कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय – श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–36 के स्थानांतरण के संबंध में ।

प्रसंग – प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना का ज्ञाप संख्या–1207–08 दिनांक 15.02.2018 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक तारांकित प्रश्न संख्या–त्र–36 (मूल रूप में) लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित होने के कारण अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु स्थानांतरित किया जाता है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रश्न के संबंध में अग्रेतर वांछित कार्रवाई करने की कृपा की जाय । इस आश्य की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को भी अलग से दी जा रही है ।

अनु० – यथोक्त ।

विश्वासभाजन
22/02/2018
(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 491 पटना, दिनांक– 22.2.2018

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक–1207–08 दिनांक 15.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/02/2018
(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 491 पटना, दिनांक– 22.2.2018

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4 को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/02/2018
(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

श्री मदन मोहन तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या त्र-40 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि प. चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया शहर के समीप से होकर गुजरने वाली चन्द्रावत नदी एवं कोहड़ा नदी में सिल्टेशन के कारण जल स्तर ऊँचा हो गया है; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त नदी के दोनों किनारे पर अतिक्रमण के कारण उसका अस्तित्व खतरें में है; 3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए सिल्टेशन की सफाई कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत बेतिया शहर के समीप से होकर गुजरने वाली चन्द्रावत नदी की लम्बाई लगभग 24.00 कि0मी0 एवं कोहड़ा नदी की लम्बाई लगभग 42.00 कि0मी0 है, जो गाद से भर जाने के साथ साथ कुछ जगहों पर अतिक्रमित भी है। मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक-940 दिनांक- 26.02.2018 से जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया से सम्पर्क कर उक्त नदियों के दोनों किनारों को अतिक्रमण से मुक्त कराने एवं इसके सफाई हेतु सर्वेक्षणोंपरान्त तकनीकी सम्भाव्यता के आधार पर योजना प्रस्ताव तैयार कर विभाग को दो माह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-त्र-27 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के प्रखंड लकड़ी नवीगंज के पंचायत खवासपुर में दीघा चँवर एक हजार एकड़ का है, जिसमें जल जमाव के कारण 25 साल से कृषि कार्य नहीं हो रहा है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त दीघा चँवरी से जल निकासी कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत लकड़ी नवीगंज प्रखंड के खवासपुर पंचायत में दीघा चँवर अवस्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 700 एकड़ है । बरसात के दिनों में इस चँवर के अधिकांश भाग के पानी की निकासी चँवर में स्थित नाले से होकर घोघरी नदी में हो जाती है । वर्तमान में लगभग 300 एकड़ में गेहूँ की खेती की जा रही है । कुछ जगहों पर निचले स्तर का पानी जिसकी निकासी तकनीकी रूप से संभव नहीं है, में मछली पालन किया जा रहा है । वर्तमान स्थलीय स्थिति के अनुसार जल निकासी की नई योजना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

पूरक सामग्री

कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, सिवान द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि लकड़ी नवीगंज प्रखण्ड के खवासपुर पंचायत में दीघा चँवर लगभग 700 एकड़ का है । चँवर के लगभग 350 एकड़ में गेहूँ की खेती एवं मछली पालन भी किया जा रहा है । निचले स्तर पर पानी भरा हुआ है, जिसमें मछली पालन एवं सिंचाई भी की जाती है । पंचायत स्तर से चँवर से जल निकासी हेतु अवस्थित नाले की सफाई करायी जाती रही है । यह चँवर सारण मुख्य नहर के 205 आर0डी0 से 210 आर0डी0 एवं डुमरा मदारपुर रोड के बीच में है । दीघा चँवर की जल निकासी मुख्यतः डुमरा मदारपुर रोड पर बने Culvert (जलालपुर के निकट) से होते हुये चँवर में स्थित नाले से होकर घोघरी नदी में होती है । निचले स्तर का जल निकासी तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है ।

श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न

संख्या–त्र–26

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखंड में सिवैसिंगपुर ग्राम बूढ़ी गंडक नदी के बाएँ तटबंध के अन्दर बसे होने के कारण नदी के जलस्तर बढ़ने पर जलमग्न हो जाता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त गाँव की सुरक्षा हेतु रिंग बाँध का निर्माण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखंड में सिवैसिंगपुर ग्राम बूढ़ी गंडक नदी के बाये तटबंध के कि0मी0 108.00 से 109.00 के बीच तटबंध के अन्दर बसा हुआ है । गाँव के किनारे नदी के तरफ ब्रिक सोलिंग सड़क बना हुआ है जो सम्भवत: आर0डब्लू0डी0 की सड़क है एवं जिसकी उँचाई 0.5 मीटर से 2.00 मीटर तक है, यह रिंग बांध की तरह कार्य करता है । बाढ़ अवधि में अप्रत्याशित रूप से जल स्तर अधिक होने पर ही गाँव में पानी घुसने की संभावना बनती है ।

(198) 15

पत्र संख्या – 11/वि0स0 – 02–01/2018 .....

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

अरूण कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : .....

विषयः– श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – त्र – 9 को स्थानांतरित करने के संबंध में।

प्रसंग :– बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक– 698 – 99 दिनांक 07.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – त्र – 9 आपके विभाग से संबंधित है।

अतः निदेशानुसार विषयांकित पत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – त्र – 9 की सूचना प्रति आपके विभाग को स्थानांतरित किया जाता है।

इसकी सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनुलग्नकः– यथावत्।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

ज्ञापांक : ..... पटना/दिनांक : .....

प्रतिलिपि : अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

ज्ञापांक : 709 पटना/दिनांक : 26.2.2018

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा – 04 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2018
(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
26.2.18